डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम

इजलास दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. राजाराम पुत्र मिठया
2. शिवराम पुत्र मिश्रया
3. सुआ बाई पत्नि सियाराम

समस्त जातियान मीना निवासीयान महस्वा तहसील टोडाभीम जिला करौली

वादी

बनाम

1. लल्लू पुत्र छिंगा
2. हरमुख पुत्र मोहनलाल
3. रामधन पुत्र मोहनलाल (मृतक)

   3/1 रामपति पत्नि रामधन

   3/2 प्रकाश पुत्र रामधन

4. गंगासहाय दत्तक पुत्र भजन

   समस्त जातियान मीना निवासीयान महस्वा तहसील टोडाभीम जिला करौली

5. वरना पुत्र श्योजी जाति जोगी निवासी महस्वा तहसील टोडाभीम
6. गिर्राज पुत्र किशनलाल जाति खटीक निवासी महस्वा तहसील टोडाभीम
7. तहसीलदार टोडाभीम

प्रतिवादीगण

दावा बावत तक्सीमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा मु0न0.150 सन 2017

मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट व हाजरी श्री ...न्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट मिनकानिब गुदई रूबरू.हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है [redacted] डिकी दी जाती है। कि

अतः दावा डिकी किया जाता है। वादी न0 1 राजाराम पुत्र मीठया जाति मीना को ग्राम महस्वा की भूमि ख0न0 3335/0.35, 3338/0.44, 3339/0.43, 3350/0.19, 3346/0.21 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी न0 2 शिवराम पुत्र मिश्रया जाति मीना को 3327/1.17, 3331/0.04 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी न0 3 ... बाई पत्नि सियाराम जाति मीना को ख0न0 3320/0.95, 3334/0.29 का खातेदार काश्त... किया जाता है। पूर्वानुसार बैक का रहन का अंकन बदस्तूर रहेगा। प्रतिवादी न0 2 व 3 ह...

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

मोहन लाल हिस्सा 1/2, रामपति पत्नि रामधन जाति मीना हिस्सा 1/12, प्रकाश पुत्र रामधन जाति मीना हिस्सा 1/12, प्रकाशी पुत्र रामधन हिस्सा 1/12, रमेशी पुत्री रामधन हिस्सा 1/12, सरूपी पुत्री रामधन हिस्सा 1/12, भूरी पुत्री रामधन हिस्सा 1/12 को ख0न0 3353/2.11, 3353/8568/0.01, 3354/0.11 मे खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। हरमुख पुत्र मोहन लाल का हिस्से मे बैक रहन बदस्तूर रहेगे। शेष प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज जमाबन्दी अनुसार रहेगा। बैक रहन, किस्म जमीन, गैरखातेदार एवं खातेदार के अंकन मुताबिक जमाबन्दी बदस्तूर रहेगे। प्रतिवादी गण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी न0 2 व 3 के कब्जे काश्त की भूमि मे व्यवधान पैदा नही करे।

निज....................मुबलिंग..........................बाबत........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह...................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..............अदा करे। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 01.07..2019 को जारी की गई।

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

दस्तखत उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

ओहदा..............................

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
हनताना वकील			खर्चा गवाहान		
र्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
ीस कमीश्नर			ववत इजराय हुक्मनामा		
वत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
तफरिक					

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

तारीख रजू:– 28.11.17

0 150/17

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. राजाराम पुत्र मिठया
2. शिवराम पुत्र मिश्रया
3. सुआ बाई पत्नि सियाराम

समस्त जातियान मीना निवासीयान महस्वा तहसील टोडाभीम जिला करौली

वादी

बनाम

1. लल्लू पुत्र छिंगा
2. हरमुख पुत्र मोहनलाल
3. रामधन पुत्र मोहनलाल (मृतक)
   3/1 रामपति पत्नि रामधन
   3/2 प्रकाश पुत्र रामधन
4. गंगासहाय दत्तक पुत्र भजन
   समस्त जातियान मीना निवासीयान महस्वा तहसील टोडाभीम जिला करौली
5. वरना पुत्र श्योजी जाति जोगी निवासी महस्वा तहसील टोडाभीम
6. गिर्राज पुत्र किशनलाल जाति खटीक निवासी महस्वा तहसील टोडाभीम
7. तहसीलदार टोडाभीम

प्रतिवादीगण

दावा वावत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति:– श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट (वादी)

श्री हेमेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट (प्रतिवादी न0 2,3/1, 3/2)

निर्णय

दिनांक:– 01.07.2019

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम महस्वा की भूमि ख0न0 3318/0.24 है0 3319/0.09, 3320/0.95, 3321/0.28, 3322/0.16, 3324/0.31, 3325/0.33, 3326/0.24, 3327/1.17, 3328/0.11, 3329/0.20, 3331/0.04, 3332/0.15, 3333/0.14, 3334/0.29, 3335/0.35, 3336/0.26, 3338/0.44, 3339/0.43, 3342/0.84, 3343/0.98, 4345/0.29, 3346/0.21, 3350/0.19, 3352/0.36, 3353/2.11, 3353/8568/0.10, 3354/0.11, 3356/0.12, 3357/0.01 कुल किता 30 कुल रकवा 11.41 है0 मे वादी न0 1 बहिस्सा 5 बीघा ,वादी न0 2 बहिस्सा 5 बीधा, वादी न0 3 बहिस्सा 5 बीघा तथा शेष हिस्से के प्रतिवादी न. 1 लगायत 6 खातेदार काश्तकार है। उक्त विवादग्रस्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की है कौन किस नम्बर पर है पता नही चलता है जिससे आये दिन डोल मेड व सरकारी लगान को लेकर विवाद बना रहता है। प्रतिवादी गण तहसील मे चलकर बटवारा कराने को सहमत नही है वादीगण द्वारा उन्हे समझाया परन्तु वे तैयार नही हुए तथा वादीगण को बेदखल करने पर आमदा है। इस कारण दावा करना लाजमी हुआ है। अतः दावा खिलाफ प्रतिवादी गण डिक्री फरमाया जाकर महस्वा की भूमि ख0न0 3318/0.24 है0 3319/0.09, 3320/0.95, 3321/0.28, 3322/[illegible] 3324/0.31, 3325/0.33, 3326/0.24, 3327/1.17, 3328/0.11, 3329/0.20, 3331/0.[illegible] 3332/0.15, 3333/0.14, 3334/0.29, 3335/0.35, 3336/0.26, 3338/0.44, 3339/0.43, 3342/0.84, 3343/0.98, 4345/0.29, 3346/0.21, 3350/0.19, 3352/0.36, 3353/2.11, 3353/8568/0.10, 3354/0.11, 3356/0.12, 3357/0.01 कुल किता 30 कु[illegible] 11.41 है0

जिला कलक्टर

Scanned by CamScanner

3324/0.31, 3325/0.33, 3326/0.24, 3327/1.17, 3328/0.11, 3329/0.20, 3331/0.04, 3332/0.15, 3333/0.14, 3334/0.29, 3335/0.35, 3336/0.26, 3338/0.44, 3339/0.43, 3342/0.84, 3343/0.98, 4345/0.29, 3346/0.21, 3350/0.19, 3352/0.36, 3353/2.11, 3353/8568/0.10, 3354/0.11, 3356/0.12, 3357/0.01 कुल किता 30 कुल रकवा 11.41 है0 मे वादी न0 1 बहिस्सा 5 बीघा ,वादी न0 2 बहिस्सा 5 बीघा, वादी न0 3 बहिस्सा 5 बीघा के वादीगण के हिस्से कब्जे अनुसार अलग–अलग खातेदारी कायम कराने हेतु बटवारा स्कीम तलब फरमाई जावे। तथा प्रतिवादी गण को वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि मे मजाहमत मदाखलत नही करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे। रहन व्यय नही करे। किसी प्रकार का निर्माण नही करे। मौका रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 1, 2 व 4 लगायत 7 वावजूद सूचना उपस्थित नही हुए उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई प्रतिवादी न0 3 रामधन के फौत हो जाने के कारण तामिली रिपोर्ट प्राप्त हुई। वादी वकील की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 22 रूल्स 4 जाप्ता दीवानी पेश होने पर वाद सुनवाई स्वीकार की गई। संशोधित टाईटल पेश हुआ। प्रतिवादी न0 3/1 व 3/2 की और से वकालत नामा एवं प्रतिवादी न0 2 की और से प्रार्थना पत्र आर्डर 9 रूल्स 7 जाप्ता दीवानी श्री हेमेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट वकालतनामा के साथ प्रस्तुत की। सुनवाई के पश्चात प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी न0 2 के विरूद्व की गई एक पक्षीय कार्यवाही आपास्त की गई। प्रतिवादी न0 2 व 3/1, 3/2 की और से जबाब प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी न0 2 बहिस्सा 5 बीघा तथा प्रतिवादी न0 3/1, 3/2 बहिस्सा 5 बीधा की अलग–अलग खातेदारी कायम करते हुए वादी का दावा डिकी किए जाने मे कोई आपत्ति नही है।

वकील उभयपक्ष ने कथन किया कि यह दावा तकास्मा से संबधित है पक्षकारान आराजीयात का तकास्मा कराना चाहते है। इसलिए यह दावा प्राथमिक डिकी फरमाकर वादीगण एवं प्रतिवादी न0 2, 3/1, 3/2 की हिस्से एवं कब्जेकाश्त अनुसार बटवारा स्कीम तलब फरमाई जावे। वकील उभय पक्ष की बहस को सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया। वर्णित आराजीयात संयुक्त खातेदारी की हैं। बटवारा कराने हेतु सहमत है।

दावा प्राथमिक डिकी कर तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमीश्नर नियुक्त कर उक्त वर्णित आराजीयात मे वादी एवं प्रतिवादी न0 2 व प्रतिवादी न0 3 के वारिसान के जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार बटवारा स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए। तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त बटवारा स्कीम का वादी वकील एवं पक्षकारान ने अवलोकन कर मुताबिक बटवारा स्कीम दावा फाईनल डिकी किए जाने का कथन किया। मुताबिक बटवारा स्कीम दावा फाईनल डिकी किये जाने के योग्य होने से वादी न0 1 राजाराम पुत्र मीठया जाति मीना को ग्राम महस्वा की भूमि ख0न0 3335/0.35, 3338/0.44, 3339/0.43, 3350/0.19, 3346/0.21 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी न0 2 शिवराम पुत्र मिश्रया जाति मीना को 3327/1.17, 3331/0.04 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी न0 3 सुआ बाई पत्नि सियाराम जाति मीना को ख0न0 3320/0.95, 3334/0.29 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्वानुसार बैंक का रहन का अंकन बदस्तूर रहेगा। प्रतिवादी न0 2 व 3 हरमुख पुत्र मोहन लाल हिस्सा 1/2, रामपति पत्नि रामधन जाति मीना हिस्सा 1/12, प्रकाश पुत्र रामधन जाति मीना हिस्सा 1/12, प्रकाशी पुत्र रामधन हिस्सा 1/12, रमेशी पुत्री रामधन हिस्सा 1/12, सरूपी पुत्री रामधन हिस्सा 1/12, भूरी पुत्री रामधन हिस्सा 1/12 को ख0न0 3353/2.11, 3353/8568/0.01, 3354/0.11 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। हरमुख पुत्र मोहन लाल का हिस्से मे बैक रहन बदस्तूर रहेगे। शेष प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज जमाबन्दी अनुसार रहेगा। बैक रहन, किस्म जमीन, गैरखातेदार एवं खातेदार के अंकन मुताबिक जमाबन्दी बदस्तूर रहेगे। पर्चा डिकी जारी हो। प्रतिवादी गण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी न0 2 व 3 के कब्जे काश्त की भूमि मे व्यवधान पैदा नही करे।

निर्णय आज दिनांक 01.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

(करौली) राज0

SDM TDM

टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner